

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
सं० 1099 / 2012 / 181(120) / XXVII(8) / 08
देहरादून:: दिनांक:: 17 दिसम्बर, 2012

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है; अतएव, अब, राज्यपाल, "उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर(संशोधन) अधिनियम, 2012" की क्रम संख्या 1(2) पर उल्लिखित व्यवस्था के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं० 178/XXXVI(3)/2012/35(1)/2012 दिनांक 13 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित "उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर(संशोधन) अधिनियम, 2012" की निम्नलिखित प्राविधानों को दिनांक 01 मार्च, 2013 से प्रवृत्त किये जाने का सहर्ष आदेश देते हैं:-

1. उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 7 पर उल्लिखित धारा 47 का हटाया जाना।
2. उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 8 पर उल्लिखित धारा 48 का संशोधन।
3. उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 9 पर उल्लिखित धारा 49 का संशोधन।
4. उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 10 पर उल्लिखित धारा 50 का संशोधन।
5. उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 11 पर उल्लिखित धारा 51 का संशोधन।
6. उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 12 पर उल्लिखित धारा 53 का संशोधन।
7. उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 13 पर उल्लिखित धारा 56 का संशोधन।
8. उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 14 पर उल्लिखित धारा 58 का संशोधन।


(राधा रतूड़ी)
सचिव।

सं० 1099 / 2012 / 181(120) / XXVII(8) / 08 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, ट्रांसपोर्टर्स, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं एवं अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को अवगत करा दें।


2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3-भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4-सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।

5-एन0आई0सी0

6-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
संयुक्त सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. ¹⁰⁹⁹2012/181(120)/ XXVII(8)/ 08 dated 17 December, 2012 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 1099 / 2012 / 181(120) / XXVII(8) / 08
Dehradun :: Dated: : 17 December, 2012

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by provision mentioned at serial no. 1(2) of the "Uttarakhand Value Added tax(Amendment) Act, 2012", the Governor is pleased to implement the following provisions of the "Uttarakhand Value Added tax(Amendment) Rules, 2012" published by Notification No. 178/2012/XXXVI(3)/08 dated 13 September, 2012 with effect from 1st March, 2013:-

1. Deletion of section 47 mentioned at serial no. 7 of the above notification.
2. Amendment of section 48 mentioned at serial no. 8 of the above notification.
3. Amendment of section 49 mentioned at serial no. 9 of the above notification.
4. Amendment of section 50 mentioned at serial no. 10 of the above notification.
5. Amendment of section 51 mentioned at serial no. 11 of the above notification.
6. Amendment of section 53 mentioned at serial no. 12 of the above notification.
7. Amendment of section 56 mentioned at serial no. 13 of the above notification.
8. Amendment of section 58 mentioned at serial no. 14 of the above notification.


(Radha Raturi)
Secretary.